



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26072022-237562
CG-DL-W-26072022-237562

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, जुलाई 17—जुलाई 23, 2022, शनिवार/आषाढ़ 26—श्रावण 1, 1944
No. 26] NEW DELHI, JULY 17—JULY 23, 2022, SATURDAY/ASHADHA 26—SRAVANA 1, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 98.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 को, जहाँ तक उनका सम्बन्ध हेड कांस्टेबल (अंगुली छाप) केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय अंगुलि छाप ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, में हेड कांस्टेबल (अंगुलि छाप), के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, केंद्रीय अंगुली छाप ब्यूरो (समूह 'ग' पद), हेड कांस्टेबल (अंगुली छाप) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
हेड कांस्टेबल (अंगुली छाप) केंद्रीय अंगुली छाप ब्यूरो।	6* (2022) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3; (रु. 21,700-69,100)।	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- केंद्रीय अंगुली छाप ब्यूरो में ऐसे प्रयोगशाला परिचर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु.18,000-56,900) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी- - उप निदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो – अध्यक्ष - निदेशक, केंद्रीय अंगुली छाप ब्यूरो – सदस्य - सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो – सदस्य विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी - - उप निदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो – अध्यक्ष - निदेशक, केंद्रीय अंगुली छाप ब्यूरो – सदस्य - सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो – सदस्य	लागू नहीं होता।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के पुलिस बल के अधीन ऐसे अधिकारी, जिनके पास अंगुली छाप के परीक्षण का तीन वर्ष का अनुभव हो : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुये हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन स्तर-1 के पदों में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और (ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा. सं. 33/1/2021- प्रशा. I(ब)/एनसीआरबी]

संजीव कुमार सक्सेना, उप निदेशक (प्रशा.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st July, 2022

G.S.R. 98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Central Finger Print Bureau (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2012, in so far as they relate to the post of Head Constable (Finger Print) Central Finger Print Bureau, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Constable (Finger Print), Central Finger Print Bureau, National Crime Records Bureau in the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Central Finger Print Bureau (Group 'C' post), Head Constable (Finger Print), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.
(1)	(2)	(3)
Head Constable (Finger Print) Central Finger Print Bureau.	6 * (2022) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

Pay level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(4)	(5)	(6)
Level-3 in the pay matrix Rs.21700-69100	Non Selection	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with instructions and orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
12th standard pass or equivalent from a recognised Board.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	Promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Laboratory Attendant in the Central Finger Print Bureau with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-1 in the Pay Matrix Rs.18000-56900 Note: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government or State Government or Union Territory administration Police Force having three years' experience in examination of finger print: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years regular service in posts in Pay Level 1 in the parent cadre or department; and (b) Matriculation from a recognised Board. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Deputy Director, National Crime Records Bureau -Chairman 2. Director, Central Finger Print Bureau -Member 3. Assistant Director, National Crime Records Bureau -Member Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: 1. Deputy Director, National Crime Records Bureau -Chairman 2. Director, Central Finger Print Bureau -Member 3. Assistant Director, National Crime Records Bureau -Member	Not applicable.

preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.		
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 33/1/2021-Ad.I (B)/NCRB]

SANJEEV KUMAR SAXENA, Dy. Director (Admn)

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 99.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति विभाग, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, समूह 'क' और समूह 'ख' पदों की भर्ती नियमावली, 2002 का अधिक्रमण करते हुए, जब तक कि वे प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद से संबंधित हैं, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों के संबंध के अलावा, एतद्वारा संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता में प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की प्रणाली को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ .—(i) इन नियमों को संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, प्रधान पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2022 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल .—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इसके साथ जुड़े वेतन मैट्रिक्स में लेवल इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में किए गए निर्देश के अनुसार होंगे।

3. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं, इत्यादि.—भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में किए गए निर्देश के अनुसार होंगे।

4. गैर-अर्हता.—कोई व्यक्ति, —

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का करार किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या

(ख) पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का करार किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

परंतु केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू निजी कानून के तहत इस तरह के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम को लागू किए जाने से छूट दे सकती है।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति.—जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, वह आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

6. अपवाद.—इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को इन कानूनों से कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी।	1(2022) * कार्य-भार के आधार पर पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क' (राजपत्रित), गैर-अनुसचिवीय।

वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या यह चयन आधारित पद (सेलेक्शन पोस्ट) है अथवा गैर-चयन आधारित पद (नॉन सेलेक्शन पोस्ट)	सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
(4)	(5)	(6)	(7)
लेवल -13 (123100 - 215900 /-रु.)	चयन आधारित पद (सेलेक्शन पोस्ट)	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति पाने वाले व्यक्तियों के मामले में भी लागू होगी?	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, क्या यह भर्ती सीधी भर्ती प्रक्रिया द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी तथा विभिन्न तरीकों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनके आधार पर पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति की जानी है।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)।	पदोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11(67700-208700 रु./-) में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का स्नातक डिग्री धारक तथा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में न्यूनतम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (सामान्य) या

			पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)। टिप्पणी 1 : पदोन्नति से संबंधित पात्रता सूची को अधिकारियों द्वारा उनके अपने-अपने ग्रेड या पद में निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने के तारीख के अनुसार तैयार किया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहाँ कुछ कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी पात्रता या अर्हता सेवा पूरी कर ली है, के मामले पर विचार किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के मामले पर भी विचार किया जायेगा, लेकिन उनसे सम्बंधित अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा की आधी से अधिक अवधि तक अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, होनी चाहिए और उन्होंने अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो तथा उनके साथ उनके कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की अर्हता अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली गई हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त शोध संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी जो:- (क) (i) अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित किए हुए हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे लेवल-12 (78800-209200 रु./-) अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त शोध अथवा शैक्षिक संस्था में
--	--	--	--

			बारह वर्ष का व्यावसायिक अनुभव, जिसमें से कम से कम दो वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। अपेक्षित : (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त शोध अथवा शिक्षण संस्थान के अंतर्गत किसी पुस्तकालय में पुस्तकालय संबंधी गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण कार्य का एक वर्ष का अनुभव। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। टिप्पणी 1 : फीडर केटेगरी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की डायरेक्ट लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त अधिकारी, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2 : इस विभाग में अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (अल्पावधिक अनुबंध सहित) आवेदन-पत्र प्राप्ति की तारीख समाप्त होने तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	---

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना अपेक्षित होता है।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य 3. महानिदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता -सदस्य 4. संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय -सदस्य ।	प्रतिनियुक्ति के आधार पर किसी अधिकारी (अल्पकालिक अनुबंध सहित) को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक होता है।

[फा. सं.10-7/2017-लाइब्रेरी(पार्ट-1)]

उमा नंदूरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 20th July, 2022

G.S.R. 99.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Tourism and Culture, Department of Culture, National Library, Kolkata, Group 'A' and Group 'B' posts Recruitment Rules, 2002, in so far as they relate to the post of the Principal Library and Information Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal Library and Information Officer in the Ministry of Culture, National Library, Kolkata, namely : -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Culture, National Library, Kolkata, Principal Library and Information Officer (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating there to shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification
(1)	(2)	(3)
Principal Library And Information Officer.	1(2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' (Gazetted) Non Ministerial.

Level in the pay matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(4)	(5)	(6)	(7)
Level -13 (Rs.123100 - 215900) .	Selection post	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case by recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by Deputation	Promotion:

		(Including Short Term Contact).	Library and Information Officer (General) or Library and Information Officer (Science and Technology) with ten years regular service in Level-11 (Rs.67700-208700/-) in pay matrix and possessing Bachelor Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute and having successfully completed training of minimum of two weeks in the field of Library and Information Science. Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade or post. Note 2: Where juniors who have completed their eligibility or qualifying service are being considered their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including Short-Term Contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories Administration or Recognised Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or statutory or autonomous organisations:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-12 (Rs.78800-209200/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; (b) Possessing the following educational qualifications and experience: Essential: (i) Master Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute; (ii) Twelve years professional experience in a Library under Central or State Government or Union Territories Administration or Autonomous or Statutory Organization or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution out of which at least two years
--	--	---	--

			experience shall be in administration. Desirable: (i) One year experience of computerising library activities in a Library under Central or State Government or Union Territories Administration or Autonomous or Statutory Organization or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution. (ii) Diploma in Computer Applications from a recognised university or institute. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the Direct Line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on Deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of Deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 3: The maximum age -limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--	--	---

If a departmental promotion committee exists what is the composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- - Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman - Secretary, Ministry of Culture – Member - Director General, National Library, Kolkata – Member ; and - Joint Secretary, Ministry of Culture – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on Deputation (Including Short Term Contract).

[F. No.10-7/2017-Lib (Part-1)]

UMA NANDURI, Jt. Secy.